उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 31/2024/ 333/छप्पन-2024/56-1002(001)-1-2022

लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2024

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2023-24 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03- उत्तर प्रदेश विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय					
305301800000342	3500.00	909.78	909.78	909.78	2590.22
योग	3500.00	909.78	909.78	909.78	2590.22

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय					
207001140000342	2500.00	2750.00	250.00	250.00	2750.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-02- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग-42-अन्य व्यय					
305301800000242	1500.00	2159.78	659.78	659.78	2159.78
योग	4000.00	4909.78	909.78	909.78	4909.78

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार वास्तविकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- वायुयानों/हेलीकाप्टरों के कलपुर्जे आदि का क्रय किये जाने के कारण व्यय अधिक हो रहा है तथा बायाबिलिटी गैप फण्डिंग क्लेम संख्या 48,49,50 एवं 51 के लम्बित बिलों की धनराशि रू0 659.78 लाख का भुगतान किया जाना अवशेष है एवं वायुयानों पर ईंधन का व्यय तथा निदेशालय में नये पाइलेट एवं अभियन्ता की नियुक्ति होने के फलस्वरूप उनके प्रशिक्षण पर भेजे जाने के दृष्टिगत व्ययाधिक्य हो रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

आर.ई. संख्या- आर0ई0-बजट-1- 633 दिनांक : 14 मार्च, 2024

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर
.....
(कुँवर मकरन्द सिंह)
संयुक्त सचिव,
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 31/2024/333(1)/छप्पन-2024-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
5- गार्ड बुक।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।